सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 12, मंगलवार, *शाके 1946-* दिसम्बर 03, *2024* *Agrahayana 12, Tuesday, Saka 1946- December 03, 2024*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 28, 2024

संख्या एफ.15(65)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/24/ईफाईल-46870/12071969:-स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 4866 दिनांक 07.11.2024 के द्वारा ग्राम पंचायत चौहटन के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र राजस्व ग्राम चौहटन (जिला बाडमेर) को सम्मिलित करते हुए चौहटन को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका चौहटन में सम्मिलित ग्राम पंचायत चौहटन के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र राजस्व ग्राम चौहटन (पंचायत समिति- चौहटन) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगरपालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)।

संख्या एफ.15(65)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/24/ईफाईल-46870/12071977 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 4805 दिनांक 07.11.2024 के द्वारा ग्राम पंचायत नापासर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र राजस्व ग्राम नापासर (जिला बीकानेर) की सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए नापासर को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका नापासर में सम्मिलित ग्राम पंचायत नापासर के सम्पूर्ण

सीमा क्षेत्र राजस्व ग्राम नापासर (पंचायत समिति- बीकानेर) की सीमा क्षेत्र को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगरपालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)।

संख्या एफ.15(65)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/24/ईफाईल-46870/12071988 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 4986 दिनांक 07.11.2024 के द्वारा ग्राम पंचायत लूनकरनसर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र राजस्व ग्राम लूनकरनसर, चक 300-700 आरडी, ढाणी भोपालाराम, कालावास, उच्छंगदेसर, जोगियासन, कंकडईच्छा, कलकल मुकलेरा (जिला बीकानेर) को सम्मिलित करते हुए लूनकरनसर को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका लूनकरनसर में सम्मिलित ग्राम पंचायत लूनकरनसर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र राजस्व ग्राम लूनकरनसर, चक 300-700 आरडी, ढाणी भोपालाराम, कालावास, उच्छंगदेसर, जोगियासन, कंकडईच्छा, कलकल मुकलेरा (पंचायत समिति- लूनकरनसर) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगरपालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।